मध्य प्रदेश सरकार की नीति

प्रस्तावना :

1. **हमारे देश के निर्यात आधार में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर नीति की घोषणा की है।**
2. **एसईजेड विशेष रूप से अभिकल्पित किए गए ड्यूटी फ्री एंक्लेव हैं जिन्हें टैरिफ तथा व्यापार प्रचालनों के लिए विदेशी क्षेत्र समझा जाएगा। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्र में एसईजेड का विकास किया जा सकता है।**
3. **उम्मीद है कि इस उपाय से विशाल, आत्मनिर्भर क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा जहां निर्यात संवर्धन के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध होगी।**
4. **एसईजेड की संकल्पना की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य में विशाल लाभांश प्राप्त होगा तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा।**
5. **राज्य सरकार लिंकेज तथा सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य अवसंरचना के सृजन में सहायता प्रदान करेगी।**
6. **मध्य प्रदेश सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से राज्य का सामाजिक – आर्थिक तथा औद्योगिक विकास करेगी। एसईजेड के विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।**
7. **मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को इंदौर के पास प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य में भविष्य में स्थापित किए जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी नोडल एजेंसी घोषित किया जाएगा।**
8. **अधिसूचित एसईजेड के लिए औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के रूप में समझा जाएगा।**
9. **विकास आयुक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न कानूनों एवं विनियमों के तहत संस्वीकृतियां प्रदान करेगा।**
10. **विकास आयुक्त एसईजेड में यूनिटों की संस्वीकृति को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों या स्पष्टीकरण के मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा।**
11. **भारत सरकार की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 के आलोक में राज्य में एसईजेड की स्थापना, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार की जा रही है।**
12. **यह नीति एसईजेड से संबंधित मुद्दों के लिए शासी नीति होगी।**

नीति रूपरेखा :

एसईजेड स्थापित करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, एसईजेड के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की एसईजेड नीति तैयार की गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अवसंरचना एवं विकास

1. **इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। अत: निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय – समय पर एसईजेड के लिए निर्धारित की जाने वाली रूपरेखा के अधीन एसईजेड नीति इंदौर एसईजेड तथा राज्य में भविष्य में विकसित किए जाने वाले एसईजेड पर लागू होगी।**
2. **राज्य सरकार एसईजेड के अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराएगी। इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।**
3. **राज्य सरकार भारत सरकार से इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के लिए अनुरोध करेगी ताकि एसईजेड से माल के निर्यात को सुगम बनाने के लिए सीधा हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके।**
4. **एकल एजेंसी क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए, संबंधित विभागों, निगमों, बोर्डों आदि की अनुमति, एनओसी आदि प्रदान करने की शक्तियां एसईजेड के नामित विकास आयुक्त को या विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करने वाले किसी अधिकृत अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएंगी।**

विकास आयुक्त :

1. **विकास आयुक्त को अधिसूचित एसईजेड के लिए औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में समझा जाएगा।**
2. **विकास आयुक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न कानूनों एवं विनियमों के तहत संस्वीकृतियां प्रदान करेगा।**
3. **विकास आयुक्त एसईजेड में यूनिटों को संस्वीकृति प्रदान करने में सुगमता के लिए ऐसे मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा जहां संशोधनों या स्पष्टीकरणों की आवश्यकता होगी।**
4. **निजी प्रमोटर के साथ मिलकर एसईजेड के विपणन को सुगम बनाएगा।**
5. **एसईजेड विकासक द्वारा विकास आयुक्त के लिए आवश्यक अवसंरचना जैसे कि भवन, कार्यालय स्थान एवं उपकरण आदि प्रदान किया जाएगा।**

एकल एजेंसी तथा स्वयं प्रमाणन प्रणाली :

1. **एसईजेड यूनिटें उद्योगों के लिए राज्य में मौजूद एकल एजेंसी क्लीयरेंस प्रणाली के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियां / अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।**
2. **ऊर्जा, वाणिज्यिक कर, गृह विभाग (विदेशी पंजीकरण), खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रोजगार कार्यालय (प्रशिक्षु अधिनियम आदि), फायर बिग्रेड आदि के संबंध में एसईजेड यूनिटों को क्लीयरेंस / अनुमोदन प्रदान करने के लिए एकल एजेंसी क्लीयरेंस प्रणाली के तहत विकास आयुक्त को उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।**
3. **राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध स्वयं प्रमाणन की सुविधा एसईजेड यूनिटों को भी उपलब्ध होंगी।**

पर्यावरण :

1. **एसईजेड के अंदर यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित एनओसी, सहमति तथा अन्य स्वीकृतियां एसईजेड के विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करने वाले बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएंगी।**
2. **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के तहत शामिल गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए एसईजेड में नामित विकास आयुक्त को शक्तियों का प्रत्यायोजन होने की स्थिति में स्वीकृतियां तदनुसार प्राप्त की जा सकती हैं।**
3. **प्रत्येक एसईजेड के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों तथा पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इस समिति को एसईजेड में परियोजनाओं / गतिविधियों के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।**
4. **राज्य सरकार एसईजेड में प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों की सूची अधिसूचित करेगी जहां किसी सहमति या एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, उनका आकार जो भी हो, जबकि अन्य मामलों में सरल प्रक्रिया के माध्यम से एसईजेड में तैनात मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी।**

5. राज्य सरकार अनियोजित विकास से बचने के लिए एसईजेड के चारों ओर ग्रीन बेल्ट स्थापित करने पर विचार करेगी।

विद्युत :

1. एसईजेड प्राधिकारी एसईजेड में सभी उपभोक्ताओं के लिए निरंतर तथा अच्छी गुणवत्ता की विद्युत का सुनिश्चय करेगा।
2. एसईजेड को स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली के लिए बिजली की बिक्री पर विद्युत शुल्क, उपकर तथा किसी अन्य कर या लेवी से छूट प्राप्त होगी।
3. एसईजेड के अंदर वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की आजादी होगी।
4. विद्युत कनेक्शन के अनुमोदन तथा बिलिंग के लिए एसईजेड में पूर्ण शक्तियों के साथ मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी तैनात होंगे। तथापि, जब निजी सेवा प्रदाता विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की समूची व्यवस्था करेगा, तो ऐसी व्यवस्था लागू नहीं होगी।
5. निर्धारित शर्तों एवं नियमों की पूर्ति के अधीन एसईजेड यूनिटों द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
6. यथास्थिति राज्य ग्रिड से विद्युत लेने के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ एसईजेड के अंदर विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में पूर्ण आजादी होगी। किसी स्टैंडबाई प्रभार के बगैर "भुगतान करो और प्रयोग करो'' के आधार पर ऐसी ग्रिड कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। इसी तरह, एसईजेड के कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत का क्रय परस्पर सहमत शर्तों पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।
7. फ्री ग्रिड अक्सेस के माध्यम से या किसी प्रतिबंध के बगैर सीधे निजी पक्षों को एसईजेड के अंदर पारेषण तथा तृतीय पक्ष बिक्री की अनुमति होगी।
8. एसईजेड अपनी विद्युत संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनटीपीसी या किसी अन्य उत्पादक कंपनी से विद्युत का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बिक्री कर तथा अन्य लेवी :

एसईजेड की सभी यूनिटों तथा विकासक को एसईजेड के अंदर उनके बीच किसी लेन-देन के लिए तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को गई बिक्री पर राज्य सरकार के वाणिज्य कर, टर्न ओवर कर, वैट, पथ कर, मंडी कर, क्रय कर, विद्युत उपकर, स्टांप शुल्क या किसी प्रकार के उपकर या लेवी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। डीटीए की यूनिटों को भी किसी एसईजेड यूनिट

तथा एसईजेड विकासक को उनके द्वारा की गई बिक्री पर इन करों तथा लेवी से छूट प्राप्त होगी। एसईजेड की यूनिटों तथा विकासक को स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों से भी छूट प्राप्त होगी क्योंकि वे आत्मनिर्भर यूनिटें होंगी तथा एसईजेड के अंदर सेवाओं के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगी।

श्रम :

1. **राज्य सरकार विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित करेगी तथा विकास आयुक्त के नियंत्रण में श्रम विभाग का कोई अधिकारी भी तैनात करेगी। राज्य सरकार एसईजेड के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत राज्य सरकार की शक्तियां भी विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करेगी।**
2. **राज्य सरकार एसईजेड की सभी यूनिटों के लिए एकल रिपोर्टिंग फार्मेट अधिसूचित करेगी जो सभी श्रम कानूनों को शामिल करेगा।**
3. **एसईजेड के उपयुक्त अधिकारियों को एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षक, सामंजस्य अधिकारी तथा पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।**
4. **मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा अन्य श्रम कानूनों से संबंधित निरीक्षणों के लिए राज्य सरकार सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का प्रयोग करेगी तथा इसके लिए यूनिटों को श्रम विभाग के दायरे से बाहर ऐसी प्रत्यायित एजेंसियों जो सरकार द्वारा अधिसूचित हो सकती हैं, के माध्यम से ऐसा निरीक्षण कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी।**
5. **श्रम कानूनों के तहत प्रस्तावित सरलीकरण का सारांश संलग्न है।**

जल :

राज्य सरकार एसईजेड के लिए आवश्यकता के अनुसार पीने, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोग के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करेगी।

निजी सेवा प्रदाता से प्राप्त की गई सेवाओं के लिए दरें विकास आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

एसईजेड का प्रबंधन :

1. **एसईजेड को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा : राज्य सरकार एसईजेड को मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्य प्रदेश**

नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित करेगी ताकि यह विशेष क्षेत्र स्वशासी संस्था के रूप में काम कर सके।

2. एसईजेड के लिए विकास आयुक्त की नियुक्ति : एसईजेड के नामित विकास आयुक्त को एकल खिड़की प्रणाली के तहत विभिन्न विभागीय कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।
3. एसईजेड में कानून एवं व्यवस्था : राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर नियंत्रण के लिए एसईजेड के अंदर उपयुक्त एवं अनन्य व्यवस्था करेगी।
4. निगरानी समिति का गठन : राज्य सरकार राज्य में एसईजेड के संवर्धन, विकास एवं कार्यकरण से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की समिति गठित करेगी तथा इसमें एसईजेड के प्राधिकारियों / प्रमोटरों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
5. एसईजेड के संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार अधिनियम / नियमावली में संशोधन : विकास आयुक्त मध्य प्रदेश में यथालागू अधिनियम / नियमावली में संशोधन के लिए एसईजेड की आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेज सकता है।
6. एसईजेड की यूनिटों का निरीक्षण : सभी भौतिक निरीक्षणों के लिए विकास आयुक्त के परामर्श से अनुसूची तैयार की जाएगी तथा इसके बाद ही निरीक्षण किए जाएंगे। तथापि, किसी उल्लंघन की किसी विशिष्ट सूचना के मामले में निरीक्षण करने वाली एजेंसी प्रस्तावित निरीक्षण के लिए विकास आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दौरा करेगी।
7. विशाल, मध्यम एवं लघु उद्योग : एसईजेड में एसएसआई यूनिटों को अनंतिम / स्थाई पंजीकरण प्रदान करने तथा एसएसआई, मध्यम एवं विशाल यूनिटों को प्रोत्साहन / सहायता संस्वीकृत करने की शक्तियां विकास आयुक्त या अन्य नामित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएंगी।

एसईजेड में विकास का वित्त पोषण :

1. एसईजेड परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएगी। राज्य भूमि के रूप में इक्विटी का योगदान करेगा।
2. परियोजना के लिए नोडल विकासक, जिसका चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। अपना इक्विटी अंशदान लाएगा और वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड आदि सहित अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय निवेशकों के साथ गठबंधन का निर्माण करने में सहायक होगा।

3. **नोडल विकासक एसईजेड में अवसंरचना विकास तथा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगा।**

श्रम तथा जनशक्ति आयोजना से संबंधित श्रम कानूनों में अनुमोदित सरलताओं का सारांश

क्रम सं.	अधिनियम का नाम, धारा और शीर्षक	प्रस्तावित सरलीकरण
1.1	रिपोर्टिंग प्रणाली की प्रक्रियाओं में सरलता (समेकित वार्षिक रिपोर्ट)	कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न आवधिक विवरणियों (तिमाही, छमाही आदि) का समेकन
1.2	रजिस्टरों की समाप्ति	कारखाना अधिनियम : 1. आर्द्रता रजिस्टर (फार्म नंबर 6) 2. चूना धुलाई एवं पेंटिंग आदि का रिकार्ड 3. गतिकी मशीनरी पर या आसपास नियुक्त मजदूरों का रजिस्टर
1.3	कतिपय विवरणियों की समाप्ति	कारखाना अधिनियम : 1. छमाही विवरणी 2. विकलांग व्यक्तियों की तिमाही विवरणी 3. ठेकेदार द्वारा दाखिल की जाने वाली छमाही विवरणी
1.4	रजिस्टरों / फार्मों का विलय	1. आडिट कामगार रजिस्टर 2. ओटी रजिस्टर 3. हाजिरी रजिस्टर
1.5	सरल श्रम प्राधिकारी	1. विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी 2. श्रम मामलों को देखने के लिए एसईजेड में श्रम विभाग का कोई अधिकारी तैनात किया जाएगा या विकास आयुक्त द्वारा किसी अधिकारी को श्रम अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। 3. एसईजेड को एकल खिड़की क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन
1.6	कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (उपयुक्त सरकार द्वारा अधिनियम की प्रयोज्यता से कतिपय स्थापनाओं को छूट प्रदान किया जाना) (धारा 16)	एसईजेड की यूनिटों को इस अधिनियम के प्रावधान से छूट प्राप्त होगी। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
2.1	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (पब्लिक यूटिलिटी का दर्जा प्रदान करना) (धारा 2 (1))	एसईजेड की यूनिटों को स्थाई आधार पर पब्लिक यूटिलिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
2.2	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सेवा की शर्तों में परिवर्तन के नोटिस के संबंध में	एसईजेड की यूनिटों को इस अधिनियम के प्रावधान से छूट प्राप्त होगी।

	छूट प्रदान करना) (धारा 9 (क))	
2.3	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ले ऑफ, छटनी एवं बंदी के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना) (धारा 25 (एम), 25 (एन), 25 (ओ))	विकास आयुक्त को इन धाराओं के तहत अनुमति प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।
2.4	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सामंजस्य की कार्यवाही, उपयुक्त सरकार द्वारा सामंजस्य अधिकारी की नियुक्ति) (धारा 4)	एसईजेड के संबंध में विकास आयुक्त को सामंजस्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2.5	कारखाना अधिनियम, 1948 (कार्य की अवधि का नोटिस देने से छूट) (धारा 8 (1) और धारा 8 (2))	धारा 51 (साप्ताहिक घंटे), धारा 52 (साप्ताहिक अवकाश), धारा 54 (दैनिक घंटे), धारा 56 (पूर्ण विस्तार) के तहत नोटिस प्रदान करने से एसईजेड यूनिटों को छूट
2.6	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (सम्यक अधिकारी की नियुक्ति)	इस अधिनियम में जहां भी निरीक्षक शब्द आया है, उसे एसईजेड यूनिटों के संबंध में "क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (उपयुक्त सरकार द्वारा कतिपय स्थापनाओं को छूट प्रदान किया जाना)	एसईजेड यूनिटों को इस प्रावधान से छूट होगी यदि एसईजेड के प्रमोटर एसईजेड के मजदूरों को तुलनीय स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत होंगे। अन्यथा मामला दर मामला आधार पर व्यक्तिगत नियोक्ताओं के लिए छूट पर विचार करना होगा।
2.8	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (कार्य का समय, मजदूरी तथा पाली में काम करने की अनुसूची के प्रकाशन से छूट) (धारा 6, धारा 7, धारा 14)	एसईजेड यूनिटों को इन प्रावधानों से छूट होगी।
2.9	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (उपयुक्त सरकार द्वारा कतिपय यूनिटों / स्थापनाओं को छूट) (धारा 5)	एसईजेड यूनिटों को यह छूट प्रदान की जाएगी।
2.10	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (सम्यक अधिकारी की नियुक्ति)	इस अधिनियम में जहां भी निरीक्षक शब्द आया है, उसे एसईजेड यूनिटों के संबंध में "क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.11	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (निरीक्षकों की नियुक्ति)	इस अधिनियम के तहत एसईजेड के श्रम अधिकारी को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
2.12	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	कर्मचारी की सहमति से मजदूरी का भुगतान चेक से या उसक बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा किया जा सकता है।
2.13	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (रिकार्डों का रखरखाव) (धारा 13 (क))	एसईजेड यूनिटों को इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से रिकार्ड रखने की अनुमति होगी।
2.14	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (मजदूरी की दरों का प्रदर्शन) (धारा 26)	एसईजेड यूनिटों को इस प्रावधान से छूट होगी।

2.15	**संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति) (धारा 6(क))**	**एसईजेड यूनिटों के लिए क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी को पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।**
2.16	**संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (लाइसेंसिंग अधिकारी की नियुक्ति) (धारा 11)**	**एसईजेड यूनिटों के लिए क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी को पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।**
2.17	**संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (इस अधिनियम के प्रावधान की प्रयोज्यता से कतिपय यूनिटों को छूट प्रदान करना) (धारा 31)**	**एसईजेड यूनिटों को इस प्रावधान से छूट होगी।**
2.18	**रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (रिक्तियों के बारे में रोजगार कार्यालय को सूचित करना) (धारा 4(2))**	**एसईजेड यूनिटों को इस प्रावधान से छूट होगी। प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।**
2.19	**समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (दावों और शिकायतों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति) (धारा 71)**	**एसईजेड यूनिटों के लिए क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी को प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।**
2.20	**समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (जांच करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति)**	**एसईजेड यूनिटों के लिए क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।**
2.21	**प्रशिक्षु अधिनियम, 1971 (यूनिटों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति) (धारा 8)**	**इस प्रावधान से एसईजेड यूनिटों को छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।**
2.22	**मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम (उपयुक्त सरकार द्वारा कतिपय स्थापनाओं को छूट प्रदान किया जाना)**	**सूचना प्रौद्योगिकी यूनिटों को प्रदान की गई छूट की तर्ज पर एसईजेड यूनिटों को इस प्रावधान से छूट प्रदान किया जाएगा।**
2.23	**बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (सम्यक अधिकारी की नियुक्ति)**	**इस अधिनियम में जहां भी निरीक्षक शब्द आया है, उसे एसईजेड यूनिटों के संबंध में "क्षेत्राधिकारीय श्रम अधिकारी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।**